25/5/19 — पत्रावली सीगह से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी के
अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी
प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से पत्थरगढ़ी करने
का आदेश चाहा गया। प्रार्थना अन्तर्गत धारा
128 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया
कि मौजा छाजवी परवार मण्डल देवलास की आराजी
145/3 रकबा 0.4300 हे० भूमि प्रार्थी की स्वामित्व भूमि
होकर इसके स्वामित्व की है। जिसके कोई सीमा

चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए उपरोक्त आराजी की पत्थरगढी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थी और बहस आराजी का खातेदार है। इन्हें नपती कराने का अधिकार निहीत है। अतः तहसीलदार झूंगला को 2000। एक हजार रुपये फीसपर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शा के अनुसार बिलाकिसी के कब्जे में दखल दिये मौजा धागवी पटवार मण्डल देलवास की आ०न० 145/3 रकबा 0.4300 है० भूमि की पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी पालना रिपोर्ट दिनांक 28/6/19 तक पेश करें। पत्थरगढी पालना रिपोर्ट के इंतजार में पत्रावली दिनांक 28/6/19 को पेश हो। उसी आशय का हुकमनामा आदेश जारी हो।

उपखण्ड अधि०...
डूंगला